



भारतीय कृषि का स्वरूप, भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि जोत का आकार एवं भूमि सुधार : चुनौतियाँ, उपलब्धियाँ एवं भावी संभावनाएँ

डॉ. पूजा कश्यप

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर, मध्य प्रदेश

सारांश (Abstract)

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि न केवल देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है, बल्कि रोजगार, राष्ट्रीय आय तथा औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय कृषि के स्वरूप, भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि जोत के आकार तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों एवं उपलब्ध साहित्य पर आधारित है। शोध से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों ने ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, किंतु भूमि विखंडन, सीमांत जोतों की बढ़ती संख्या, सिंचाई असमानता एवं कृषि निवेश की कमी जैसी चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। अध्ययन में कृषि के सतत विकास हेतु भूमि प्रबंधन, तकनीकी नवाचार, डिजिटलीकरण एवं संस्थागत सुधारों पर बल दिया गया है।

मुख्य शब्द: भारतीय कृषि, भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि सुधार, कृषि विकास, भूमि जोत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना:-भारत को कृषि प्रधान राष्ट्र कहा जाता है क्योंकि देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि पारंपरिक तकनीकों, कम उत्पादकता तथा असमान भूमि वितरण जैसी समस्याओं से ग्रस्त थी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा भूमि सुधार, हरित क्रांति, सिंचाई विस्तार तथा कृषि आधुनिकीकरण जैसे अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, किंतु कृषि क्षेत्र आज भी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भूमि कृषि उत्पादन का मूल आधार है। भूमि उपयोग की प्रकृति, जोतों का आकार तथा भूमि स्वामित्व व्यवस्था कृषि उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी कारण भूमि सुधार भारतीय कृषि विकास की केंद्रीय अवधारणा रही है।



अध्ययन के उद्देश्य:-

1. भारतीय कृषि के स्वरूप एवं विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. भूमि उपयोग प्रतिरूप का विश्लेषण करना।
3. भारत में भूमि जोतों के आकार एवं उनकी समस्याओं का मूल्यांकन करना।
4. भूमि सुधार कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं सीमाओं का अध्ययन करना।
5. कृषि विकास के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

आंकड़ों के स्रोत:-

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- आर्थिक सर्वेक्षण
- कृषि जनगणना रिपोर्ट
- नीति आयोग की रिपोर्टें
- शोध जर्नल एवं पुस्तकें
- एनएसएसओ एवं एनएबीएआरडी रिपोर्टें

साहित्य समीक्षा

एम. एल. दांतवाला ने (1952) Land Reforms in India में भारत के भूमि सुधार कानूनों, काश्तकारी व्यवस्था और कृषि संरचना का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार कृषि विकास और ग्रामीण कल्याण के लिए आवश्यक हैं। महालनोबिस (1955) ने कृषि उत्पादकता वृद्धि के लिए भूमि सुधारों को आवश्यक बताया। अमर्त्य सेन (1975) ने भूमि वितरण और ग्रामीण गरीबी के मध्य गहरा संबंध स्थापित किया। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने कृषि आधुनिकीकरण को ग्रामीण विकास का आधार माना। हाल के अध्ययनों में कृषि डिजिटलीकरण, ड्रोन तकनीक, सटीक कृषि (Precision Farming) तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। पी. एस. अप्पू (1996) ने Land Reforms in India: A Survey of Policy, Legislation and Implementation में विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों की नीतियों और उनके क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि राज्यों के बीच उपलब्धियाँ काफी भिन्न रहीं। टिमोथी बेस्ली एवं रॉबिन बर्गस



ने(2000) भारत के राज्यों के आँकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला कि प्रभावी भूमि सुधारों से गरीबी में कमी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। मैत्रीश घटक एवं संचारी रॉय ने (2007) भूमि सुधार और कृषि उत्पादकता पर उपलब्ध अध्ययनों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भूमि सुधारों का प्रभाव राज्यों और सुधारों के प्रकार के अनुसार अलग-अलग रहा।

भारतीय कृषि का स्वरूप

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

मानसून पर निर्भरता

भारतीय कृषि का बड़ा भाग वर्षा आधारित है, जिसके कारण उत्पादन मानसून की अनिश्चितता से प्रभावित होता है।

श्रम प्रधानता

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत है, इसलिए कृषि में श्रम की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है

जीविकोपार्जन कृषि

छोटे एवं सीमांत किसान मुख्यतः पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खेती करते हैं।

छोटी एवं विखंडित जोतें

भारत में अधिकांश कृषि जोतें छोटे आकार की हैं, जिससे यंत्रीकरण एवं उत्पादकता प्रभावित होती है।

मिश्रित एवं बहुफसली कृषि

फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, डेयरी एवं बागवानी गतिविधियाँ भी कृषि का हिस्सा हैं।

भारतीय कृषि का आर्थिक महत्व

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है-

- रोजगार का प्रमुख स्रोत
- खाद्य सुरक्षा का आधार
- औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति
- विदेशी मुद्रा अर्जन
- ग्रामीण विकास का आधार
- गरीबी उन्मूलन में योगदान

भूमि उपयोग प्रतिरूप:-

भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी देश की भूमि के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है।

भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणियाँ

1. वन क्षेत्र
2. शुद्ध बोया गया क्षेत्र
3. गैर-कृषि उपयोग भूमि
4. बंजर भूमि
5. चरागाह भूमि
6. परती भूमि

भूमि उपयोग में परिवर्तन का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन एवं पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ता है।

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक

प्राकृतिक कारक

- जलवायु:- वर्षा, तापमान, आर्द्रता एवं हवाएँ भूमि उपयोग का स्वरूप निर्धारित करती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वानिकी और धान की खेती, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चरागाह एवं शुष्क कृषि विकसित होती है।
- मिट्टी की गुणवत्ता:- मृदा की उर्वरता, बनावट और गहराई के अनुसार फसलें एवं भूमि उपयोग तय होता है।
- स्थलाकृति:- समतल भूमि कृषि, उद्योग एवं बस्तियों के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतीय एवं ढालदार क्षेत्रों में कृषि सीमित होती है।
- जल संसाधन:- नदियाँ, झीलें, भूजल और सिंचाई की उपलब्धता कृषि एवं औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है।
- खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन :- जहाँ खनिज उपलब्ध होते हैं, वहाँ खनन एवं उद्योगों का विकास होता है।
- प्राकृतिक वनस्पति :- वन क्षेत्र, घास के मैदान तथा प्राकृतिक वनस्पति भूमि उपयोग के प्रकार को प्रभावित करते हैं।

मानव निर्मित कारक

- जनसंख्या वृद्धि:- बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि, आवास एवं अन्य उपयोगों के लिए भूमि की मांग बढ़ती है।
- नगरीकरण:- शहरों और उद्योगों के विस्तार से कृषि भूमि का उपयोग आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बदल जाता है।
- सरकारी नीतियाँ:- बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि, आवास एवं अन्य उपयोगों के लिए भूमि की मांग बढ़ती है।
- परिवहन एवं संचार:-सड़क, रेल, हवाई एवं संचार सुविधाओं के विकास से भूमि का व्यावसायिक उपयोग बढ़ता है।
- तकनीकी विकास :-आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, मशीनरी और उन्नत बीज भूमि उपयोग को बदलते हैं।
- आर्थिक विकास :-उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार से भूमि का उपयोग बदलता है।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक :-लोगों की जीवनशैली, शिक्षा, परंपराएँ एवं सामाजिक आवश्यकताएँ भी भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं।

भारत में भूमि जोत का आकार

भारत में कृषि जनगणना के अनुसार अधिकांश कृषक सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं।

जोत का प्रकार	आकार
सीमांत	1 हेक्टेयर से कम
लघु	1-2 हेक्टेयर
अर्ध-मध्यम	2-4 हेक्टेयर
मध्यम	4-10 हेक्टेयर
बड़ी	10 हेक्टेयर से अधिक

छोटी जोतों की प्रमुख समस्याएँ

भारत में अधिकांश (लगभग 85% से अधिक) किसान सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं, जबकि उनके पास कुल कृषि भूमि का अपेक्षाकृत कम हिस्सा होता है।

भूमि जोतों की प्रमुख समस्याएँ

जोतों का अत्यधिक विखंडन:- भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाती है।

मशीनीकरण में कठिनाई - छोटी जोतों पर आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता।

कम उत्पादकता - सीमित संसाधनों के कारण उत्पादन कम रहता है।

सिंचाई एवं आधुनिक तकनीक की कमी - छोटी जोत वाले किसान निवेश करने में सक्षम नहीं होते।

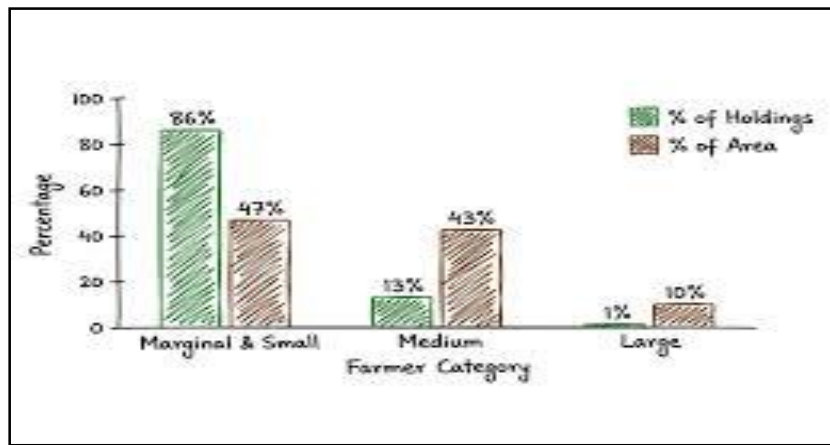
लागत में वृद्धि - प्रति इकाई उत्पादन लागत अधिक हो जाती है।

ऋण एवं विपणन की समस्या - छोटे किसानों को सस्ता ऋण और उचित बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता।

भूमि विवाद - उत्तराधिकार के कारण भूमि का बार-बार विभाजन और विवाद उत्पन्न होते हैं।

कम निवेश क्षमता- जोत में कार्य करने के लिए किसानों के पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए जिस वजह से वह भूमि पर पूर्ण रूप से निवेश नहीं कर पाता।

बाजार तक सीमित पहुँच:- बाजार तक सीमित पहुँच अर्थात् संसाधनों के कमी होने के कारण किसान बाजार एवं उपलब्ध साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता।



स्रोत: अर्थव्यवस्था 2023

ग्राफ में तीन प्रकार के किसानों को दिखाया गया है:

सीमांत एवं लघु किसान (Marginal & Small Farmers) कुल जोतों (Holdings) का 86% इन्हीं किसानों के पास है। लेकिन इनके पास कुल कृषि भूमि का केवल 47% हिस्सा है। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और लघु हैं, परंतु उनके पास भूमि का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। मध्यम किसान (Medium Farmers) कुल जोतों का 13% मध्यम किसानों के पास है। इनके पास कुल कृषि भूमि का 43% हिस्सा है। अतः किसानों की संख्या कम होने के बावजूद इनके पास भूमि का बड़ा

हिस्सा है। बड़े किसान (Large Farmers) कुल जोतों का केवल 1% बड़े किसानों के पास है। लेकिन इनके पास कुल कृषि भूमि का 10% हिस्सा है। बड़े किसानों की संख्या बहुत कम है, फिर भी उनके पास पर्याप्त भूमि है। भारत में 86% किसान सीमांत एवं लघु किसान हैं, जो कृषि की रीढ़ हैं। भूमि का वितरण पूरी तरह समान नहीं है; कम संख्या वाले मध्यम और बड़े किसानों के पास भूमि का बड़ा हिस्सा है। छोटे किसानों के पास कम भूमि होने के कारण उनकी आय, उत्पादकता और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की क्षमता सीमित रहती है इसलिए भूमि सुधार, जोतों का समेकन, सिंचाई, कृषि ऋण, आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता छोटे किसानों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

भूमि सुधार : अवधारणा एवं उद्देश्य

भूमि सुधार से आशय भूमि स्वामित्व, वितरण एवं उपयोग संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार से है।

प्रमुख उद्देश्य

- सामाजिक न्याय
- भूमि का समान वितरण
- कृषि उत्पादन में वृद्धि
- किसानों के अधिकारों की रक्षा

भारत में भूमि सुधारों के प्रमुख उपाय

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन :- स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी व्यवस्था समाप्त की गई। किसानों और सरकार के बीच के बिचौलियों (जमींदारों) को समाप्त करना। किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना।

काश्तकारी सुधार:- किरायेदार किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई। बटाईदारों और किरायेदार किसानों के अधिकारों की रक्षा। उचित लगान निर्धारित करना। मनमानी बेदखली पर रोक लगाना। योग्य काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व देना।

भूमि सीमा निर्धारण:- भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरित करना।

चकबंदी:- बिखरी हुई भूमि को एक स्थान पर समेकित करना।

खेती को अधिक सुविधाजनक और लागत-कुशल बनाना। विखंडित जोतों को एकीकृत किया गया।

सहकारी खेती:- सामूहिक कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। किसान मिलकर संसाधनों का उपयोग करें और सामूहिक रूप से खेती करें। उत्पादन लागत कम होती है और उत्पादकता बढ़ती है।

भूमि सुधारों की उपलब्धियाँ

- जमींदारी व्यवस्था का अंत:- जमींदारों और अन्य बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त हुई। किसानों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित हुआ। सामंती व्यवस्था कमजोर हुई।
- जोतों की चकबंदी:- बिखरी हुई कृषि भूमि को एकीकृत किया गया। खेती अधिक सुविधाजनक हुई तथा समय और लागत में कमी आई।
- भूमि का पुनर्वितरण:- भूमि-सीमा (Ceiling) कानूनों के माध्यम से अधिशेष भूमि का कुछ भाग भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया। इससे ग्रामीण असमानता को कम करने का प्रयास हुआ।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि:- भूमि पर स्वामित्व और सुरक्षा मिलने से किसानों ने भूमि में अधिक निवेश किया। सिंचाई, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी।
- किसानों के अधिकारों का विस्तार:- किरायेदार किसानों को बेदखली से संरक्षण मिला। कई राज्यों में काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ। किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
- सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन:- भूमिहीन एवं कमजोर वर्गों को भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।
- भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण:- अनेक राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया। इससे पारदर्शिता बढ़ी, विवादों में कमी आई और प्रशासन अधिक प्रभावी हुआ।

भूमि सीमा नीति की प्रभावशीलता

भूमि स्वामित्व की ऊपरी सीमा निर्धारित करने वाली भूमि सीमा नीति के सामाजिक न्याय के लक्ष्यों के अलावा महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ भी हैं,



1 पुनर्वितरण न्याय और समावेशी विकास:- अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन गरीबों में पुनर्वितरित किया गया, जिससे उत्पादक संपत्ति के स्वामित्व में वृद्धि हुई और ग्रामीण उपभोग में योगदान मिला।

2 भूमि का इष्टतम उपयोग:- इससे बड़ी जागीरों के व्यर्थ उपयोग को रोका गया और पुनर्वितरित भूखंडों की गहन खेती को प्रोत्साहित किया गया।

3 भूमि एकाधिकार में कमी:- इससे कुछ ही हाथों में भूमि का केंद्रीकरण समाप्त हुआ, जिससे प्रतिस्पर्धी कृषि और ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला।

4 श्रम अवशोषण:- इससे श्रम प्रधान लघु कृषि को बढ़ावा मिला, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हुआ।

5 उत्पादकता में सुधार:- भूमि और पारिवारिक श्रम के गहन उपयोग के कारण छोटे खेत अक्सर अधिक कुशल होते हैं।

6 संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच:- पुनर्वितरित भूमि के कानूनी स्वामित्व ने लाभार्थियों को ऋण संसाधनों और सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की।

7 ग्रामीण सुधारों के लिए फाउंडेशन:- ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर एमजीएनआरईजीए स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका मिशनों जैसे बाद के सुधारों के लिए एक आधार तैयार किया।

भूमि सीमा नीति ने कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण सहायता सेवाओं और ऋण एवं संसाधनों तक पहुंच को इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि भूमि गरीबों के लिए वास्तव में एक उत्पादक संपत्ति बन सके।

भूमि सुधारों की सीमाएँ

- अधूरी क्रियान्वयन प्रक्रिया
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- भूमि अभिलेखों की समस्याएँ
- सीमांत किसानों तक सीमित लाभ
- क्षेत्रीय असमानताएँ



निष्कर्ष एवं सुझाव

भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। कृषि विकास के लिए भूमि सुधारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में केवल भूमि सुधार पर्याप्त नहीं हैं। कृषि के समग्र विकास हेतु भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का विस्तार, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, किसान उत्पादक संगठनों का सशक्तीकरण तथा कृषि विपणन सुधार आवश्यक हैं।

सुझाव

1. डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का विस्तार।
2. छोटे किसानों हेतु विशेष कृषि यंत्रीकरण योजना।
3. कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग।
4. जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा।
5. किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का विस्तार।
6. कृषि अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश वृद्धि।

संदर्भ (References)

1. Datt, R. & Sundharam, K.P.M. *Indian Economy*.
2. Mishra, S.K. & Puri, V.K. *Indian Economy*.
3. Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
4. Economic Survey of India.
5. National Commission on Agriculture Report.
6. Sen, A. (1975). *Employment, Technology and Development*.
7. NABARD Annual Reports.
8. NITI Aayog Reports on Agriculture.
9. Agricultural Census of India.
10. Various Peer Reviewed Journals on Agricultural Economics.